



Govt. Engineering College Ajmer (estd. 1997)

(An autonomous institute of Govt. of Rajasthan)

Tel No. 0145-2971024

www.ecajmer.ac.in



Right To Information Act 2005

क्रमांक: राजगज / RTI / 2019 / 176

दिनांक: 09.07.19

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत महाविद्यालय में द्वितीय अपील पर राजस्थान सूचना आयोग में सुनवाई की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों से सत्र 2014-15 से 2018-19 तक की समय-सारणी तथा सत्र 2016-17 से 2018-19 तक संकाय सदस्यों को दिये गये व्यक्तिगत भार (समय-सारणी) की छायाप्रति 05 दिवस में आवश्यक रूप से RTI Cell में उपलब्ध करा दें। यदि कोई सूचना उनके विभाग में उपलब्ध नहीं है तो उसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करें। उक्त के संबंध में यदि कोई शारती लगाई जाती है तो संबंधित से वसूल की जावेगी।

प्रतिलिपि:- २१८७३/२०१९/१७१८-१७२०

4. प्राचार्य को सूचनार्थ
5. समस्त विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. रक्षक पत्रावली

लोक सूचना अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी